

अध्याय-1

विहंगावलोकन

अध्याय-1

विहंगावलोकन

1.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की रूपरेखा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिनियम, 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (रा.रा.क्षे.) के रूप में घोषित किया गया था। दिल्ली के पास दोहरा अधिकार क्षेत्र अर्थात् संघ सरकार एवं राज्य सरकार जैसी एक प्रशासनिक संरचना है। दिल्ली में 11 जिले तथा 33 उप मंडल हैं। रा.रा.क्षे. दिल्ली 1,483 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र में फैला हुआ है जिसमें से 1,114 वर्ग कि.मी. शहरी तथा 369 वर्ग कि.मी. ग्रामीण क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के जनसंख्या अनुमान के अनुसार, राज्य की जनसंख्या 2.14 करोड़ थी, जो देश की जनसंख्या का 1.54 प्रतिशत है और जनसंख्या के मामले में राज्यों में 19वें स्थान पर है। राज्य का जनसंख्या घनत्व 14,402.56 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. है जो 422.26 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. के राष्ट्रीय औसत से अधिक था। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की साक्षरता दर 86.20 प्रतिशत है। (परिशिष्ट 1.1)

1.1.1 रा.रा.क्षे. दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) एक दी गई समयावधि में राज्य के सीमाक्षेत्र के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य है। स.रा.घ.उ. की वृद्धि राज्य की अर्थ-व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह समय के साथ राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को दर्शाता है।

स.रा.घ.उ. के क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन अर्थ-व्यवस्था के बदलते स्वरूप को समझने में भी महत्वपूर्ण हैं। आर्थिक गतिविधि को आम तौर पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कि कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों के अनुरूप होता है। रा.रा.क्षे. दिल्ली के स.रा.घ.उ.¹ में प्रवृत्तियों

¹ वर्तमान मूल्यों पर

को तालिका 1.1 में दर्शाया गया है; स.रा.घ.उ. में क्षेत्रीय योगदान तथा क्षेत्रीय वृद्धि में बदलाव को क्रमशः चार्ट 1.1 और चार्ट 1.2 में दिया गया है।

तालिका 1.1: स.घ.उ. की तुलना में स.रा.घ.उ. में प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
भारत					
वर्तमान मूल्यों पर स.घ.उ. (श्रृंखला 2011-12)	1,88,99,668	2,01,03,593	1,98,29,927	2,34,71,012	2,72,40,712
जीवीए	1,71,75,128	1,83,81,117	1,81,88,780	2,14,38,883	2,47,42,871
पिछले वर्ष की तुलना में स.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.59	6.37	(-1.36)	18.36	16.06
पिछले वर्ष की तुलना में जीवीए की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.77	7.02	-1.05	17.87	15.41
प्रति व्यक्ति स.घ.उ. (₹ में)	1,42,424	1,49,915	1,46,301	1,71,498	1,96,983
राज्य/संघ राज्य					
वर्तमान मूल्यों पर स.घ.उ. (श्रृंखला 2011-12)	7,38,389	7,92,911	7,63,435	9,04,642	10,43,759
जीएसवीए	6,47,839	7,04,369	6,74,551	7,92,859	9,16,792
पिछले वर्ष की तुलना में स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	8.92	7.38	-3.72	18.50	15.38
पिछले वर्ष की तुलना में जीएसवीए की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.38	8.73	-4.23	17.54	15.63
प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. (₹ में)	3,75,656	3,95,763	3,73,976	4,34,903	4,92,455


स्रोत: एमओएसपीआई वेबसाइट एवं अर्थशास्त्र तथा सांख्यिकी निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

2022-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) वर्तमान मूल्य पर ₹ 10,43,759 करोड़ था तथा 2022-23 में स.घ.उ. वर्तमान मूल्य पर ₹ 2,72,40,712 करोड़ था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. ₹ 4,92,455 करोड़ था जबकि देश का ₹ 1,96,983 करोड़ था। हालाँकि, 2018-19 से 2022-23 तक की अवधि के दौरान राज्य के प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. में वृद्धि (31.09 प्रतिशत) इसी अवधि के दौरान देश के प्रति व्यक्ति स.घ.उ. में वृद्धि (38.31 प्रतिशत) के साथ तालमेल नहीं रख सकी। इसका प्रमाण इस तथ्य से मिलता है कि राज्य का प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ., जो देश के प्रति व्यक्ति स.घ.उ. (2018-19) का 263.76 प्रतिशत था, 2022-23 के अंत में घटकर प्रति व्यक्ति स.घ.उ. का 250 प्रतिशत हो गया था।

सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) का उपयोग भारत सरकार और आईएमएफ और विश्व बैंक जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा आर्थिक विश्लेषण के लिए किया जा रहा है क्योंकि जीवीए को स.घ.उ. की तुलना में आर्थिक विकास का बेहतर संकेतक माना जाता है, क्योंकि यह करों और सब्सिडी के प्रभाव को नजरअंदाज करता है। जबकि स.घ.उ. की गणना अर्थव्यवस्था में किए गए विभिन्न व्ययों के योग के रूप में की जा सकती है, जिसमें निजी उपभोग व्यय, सरकारी उपभोग व्यय और सकल स्थायी पूंजी निर्माण या निवेश व्यय शामिल हैं जो अनिवार्य रूप से अर्थव्यवस्था में मांग की स्थितियों को दर्शाते हैं। दोनों आकलनों में शुद्ध करों के प्रतिपादन में अंतर है, जिसके परिणामस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद में करों का समावेश वास्तविक उत्पादन स्थिति से भिन्न हो सकता है। अतः एक नीति-निर्माता के परिप्रेक्ष्य से बेहतर विश्लेषण और नीतिगत हस्तक्षेप के लिए जीवीए और जीएसवीए आंकड़ों की तुलना महत्वपूर्ण है।


2018-19 से 2022-23 तक की अवधि के लिए स.रा.घ.उ. और जीएसवीए की प्रवृत्ति को नीचे चार्ट 1.1 में दर्शाया गया है:

चार्ट 1.1: 2018-19 से 2022-23 तक की अवधि के दौरान स.रा.घ.उ. की तुलना में जीवीए की वृद्धि दर



स.रा.घ.उ. के क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन अर्थ-व्यवस्था के बदलते स्वरूप को समझने में भी महत्वपूर्ण हैं। आर्थिक गतिविधि को आम तौर पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कि कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों के अनुरूप होता है।

चार्ट 1.2: स.रा.घ.उ. में क्षेत्रीय वृद्धि



स्रोत: दिल्ली के राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान 2021-22, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स.।

चार्ट 1.2 से पता चलता है कि पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 में सभी क्षेत्रों में विकास दर में कमी आई है। पिछले वर्ष की तुलना में रा.रा.क्षे.दि.स. का राजस्व अधिशेष ₹ 11,187 करोड़ (342.11 प्रतिशत) बढ़ गया जैसा कि इस रिपोर्ट के पैराग्राफ 1.4 और अध्याय 2 में बताया गया है।

1.2 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए आधार एवं दृष्टिकोण

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 48 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है ताकि इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विधानमंडल के समक्ष रखा जा सके।

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्त लेखे एवं विनियोजन लेखे इस प्रतिवेदन के मुख्य आंकड़ों को तैयार करते हैं। लेखा नियंत्रक रा.रा.क्षे.दि.स. प्रतिवर्ष राज्य के वित्त तथा विनियोजन लेखे तैयार करता है। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार का बजट: अनुमानों की तुलना में राजकोषीय मापदंडों और आबंटन प्राथमिकताओं का आकलन करने के तथा इसके कार्यान्वयन की प्रभावशीलता और संगत नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए।
- स.रा.घ.उ. तथा राज्य से संबंधित अन्य सांख्यिकी, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स.।

- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली द्वारा की गई लेखापरीक्षा के परिणाम।
- भारत के नि.म.ले.प. के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विश्लेषण/टिप्पणी के लिए उपयुक्ता के अनुरूप उपयोग किया गया है।

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार को राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के मसौदे पर टिप्पणी हेतु जनवरी 2024 में भेज दिया गया था। प्रधान सचिव (वित्त) रा.रा.क्षे.दि.स. से समापन सम्मेलन किए जाने के लिए उपयुक्त दिनांक सूचित करने का निवेदन किया गया है। राज्य सरकार से प्राप्त उत्तरों को इस प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

1.3 सरकारी लेखा संरचना तथा बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के लेखाओं को दो भागों में रखा जाता है:

1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की समेकित निधि (रा.रा.क्षे.दि.स. अधिनियम, 1991 की धारा 46)

इस निधि में रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, भारत सरकार से प्राप्त ऋण, प्राप्त सभी अनुदान तथा ऋण के पुनर्भुगतान में रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा प्राप्त सभी धन शामिल हैं। कानून के अनुसार और अधिनियम में दिए गए उद्देश्यों के लिए तथा तरीके के अलावा इस निधि से कोई भी धन विनियोजित नहीं किया जा सकता है।

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की आकस्मिकता निधि (रा.रा.क्षे.दि.स. अधिनियम, 1991 की धारा 47)

यह निधि अग्रदाय प्रकृति की है जिसे राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून द्वारा स्थापित किया जाता है, और यह उपराज्यपाल के नियंत्रण में होता है जो उन अग्रिमों को स्वीकृत करने के लिए, जो किसी ऐसे अप्रत्याशित व्यय जिनका राज्य विधानमंडल द्वारा उस व्यय को अधिकृत किया जाना लंबित हो, को पूरा करने हेतु सक्षम बनाता है।

इसके अलावा, सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी सार्वजनिक धन, जहां सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, को लोक लेखा में जमा किया जाता है। चूंकि रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के लिए अलग से कोई लोक

लेखा नहीं है इसलिए लोक लेखा से संबंधित लेन-देन (जमा, अग्रिम, प्रेषण और उचंत) का केंद्रीय सरकार के लोक लेखा में विलय हो जाते हैं। रा.रा.क्षे.दि.स. का अंतिम शेष केंद्र सरकार के सामान्य नकद शेष में समायोजित होता है और सरकार के पास जमा राशि के रूप में माना जाता है। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की राजकोषीय देयताओं में बड़े पैमाने पर लघु बचत संग्रह का हिस्सा शामिल है। दिल्ली केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत नहीं आती है तथा यह केंद्रीय करों और शुल्कों में राज्य के हिस्से के बदले में सहायता अनुदान प्राप्त करती है।

बजट दस्तावेज

राजस्व प्राप्तियों में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के कर राजस्व, गैर-कर राजस्व एवं भारत सरकार (भा.स.) से प्राप्त सहायता अनुदान शामिल होते हैं।

राजस्व व्यय में सरकार के वे सभी व्यय शामिल होते हैं जिनके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय संपत्ति का निर्माण नहीं होता है। यह सरकारी विभागों के सामान्य कामकाज के लिए किए गए खर्चों और विभिन्न सेवाओं, सरकार द्वारा ऋण पर किया गया ब्याज भुगतान, और विभिन्न संस्थानों को दिए गए सहायता अनुदान (यद्यपि कुछ अनुदान संपत्ति निर्माण के लिए हो सकते हैं) से संबंधित है।

रा.रा.क्षे.दि.स. की **पूंजीगत प्राप्तियों** में ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां, भारत सरकार से ऋण के माध्यम से प्राप्तियां और विविध पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। रा.रा.क्षे.दि.स को खुले बाजार से ऋण जुटाने का अधिकार नहीं है। सभी आवश्यक ऋण भारत की समेकित निधि से दिए जाते हैं।


पूंजीगत व्यय को मोटे तौर पर भौतिक और स्थायी प्रकृति की ठोस संपत्तियों को बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए व्यय के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें भूमि अधिग्रहण, भवन, मशीनरी, उपकरण, सा.क्षे.उ. में निवेश पर व्यय शामिल हैं।

वर्तमान में सरकार के पास एक लेखांकन वर्गीकरण प्रणाली है जो कार्यात्मक और आर्थिक दोनों हैं:

	लेन-देन की विशिष्टता	वर्गीकरण
ले.म.नि. द्वारा मुख्य तथा लघु शीर्षों की सूची में मानकीकृत	कार्य-शिक्षा, स्वास्थ्य आदि/विभाग	मुख्य शीर्ष (4-अंकीय)
	उप-कार्य	उप-मुख्य शीर्ष (2-अंकीय)
	कार्यक्रम	लघु शीर्ष (3-अंकीय)
छूट राज्यों के लिए छोड़ दी गई है	योजना	उप-शीर्ष (2-अंकीय)
	उप-योजना	विस्तृत-शीर्ष (2-अंकीय)
	आर्थिक प्रकृति/गतिविधि	वस्तु-शीर्ष-वेतन, लघु निर्माण कार्य आदि (2-अंकीय)

कार्यात्मक वर्गीकरण से हमें विभाग, कार्य, योजना या कार्यक्रम और व्यय के उद्देश्य का पता चलता है। आर्थिक वर्गीकरण राजस्व, पूंजी, ऋण आदि के रूप में इन भुगतानों को व्यवस्थित करने में मदद करता है। आर्थिक वर्गीकरण 4-अंकीय मुख्य शीर्षों के पहले अंक में एम्बेडेड नंबरिंग तर्क द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए 0 और 1 राजस्व प्राप्तियों के लिए है, 2 और 3 राजस्व व्यय आदि के लिए है। आर्थिक वर्गीकरण कुछ वस्तु शीर्षों की अंतर्निहित परिभाषा और वितरण द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, आमतौर पर "वेतन" वस्तु शीर्ष राजस्व व्यय है, "निर्माण" वस्तु शीर्ष पूंजीगत व्यय है। बजट दस्तावेजों में वस्तु शीर्ष विनियोग की प्राथमिक इकाई है।

चार्ट 1.3: रा.रा.क्षे.दि.स. के सरकारी लेखे की संरचना



बजटीय प्रक्रियाएं

रा.रा.क्षे.दि.स. अधिनियम, 1991 की धारा 27 के अनुसार, रा.रा.क्षे.दि. के उपराज्यपाल, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में, विधानमंडल के समक्ष, उस वर्ष के लिए पूंजी की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण एक वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में प्रस्तुत कराएगा।

उपर्युक्त अधिनियम की धारा 28 के अनुसार, अनुदानों/विनियोजन की मांग के रूप में विवरण राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत किया जाता है और उसके अनुमोदन के पश्चात, अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत समेकित निधि से आवश्यक धनराशि के विनियोजन के लिए विनियोजन विधेयक को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया जाता है।

बजट की लेखापरीक्षा संवीक्षा तथा रा.रा.क्षे.दि.स. की अन्य बजटीय पहल के क्रियान्वयन के परिणाम इस प्रतिवेदन के **अध्याय 3** में दिए गए हैं।

1.3.1 वित्त का आशुचित्र

तालिका 1.2 वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमानों और वास्तविक व्यय तथा 2021-22 के वास्तविक व्यय की तुलना में वास्तविक वित्तीय परिणामों का विवरण प्रदान करती है।

विगत पांच वर्षों के दौरान प्राप्तियों एवं संवितरणों के साथ-साथ संपूर्ण राजकोषीय स्थिति का विवरण **परिशिष्ट 1.2** में दिया गया है।

तालिका 1.2: बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संघटक	2021-22 वास्तविक	2022-23			
			बजट अनुमान	वास्तविक	ब.अ. की तुलना में वास्तविक की प्रतिशतता	स.रा.घ.उ. की तुलना में वास्तविक की प्रतिशतता
1	कर राजस्व	40,019	47,700	47,363	99.29	4.54
2	गैर-कर राजस्व	827	1,000	581	58.10	0.06
3	सहायता अनुदान तथा अंशदान	8,467	12,589	14,759	117.24	1.41
4	राजस्व प्राप्तियां (1+2+3)	49,313	61,289	62,703	102.31	6.01
5	ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	623	602	1,258	208.97	0.12
6	उधार एवं अन्य देयताएं ^(क)	7,021	10,200	(-)4,566	(-)44.76	(-)0.44

क्र. सं.	संघटक	2021-22 वास्तविक	2022-23			
			बजट अनुमान	वास्तविक	ब.अ. की तुलना में वास्तविक की प्रतिशतता	स.रा.घ.उ. की तुलना में वास्तविक की प्रतिशतता
7	पूँजीगत प्राप्तियां (5+6)	7,644	10,802	(-)3,308	(-)30.62	(-)0.32
8	कुल प्राप्तियां (4+7)	56,957	72,091	59,395	82.39	5.69
9	जिनमें से, राजस्व व्यय	46,043	53,688	48,246	89.86	4.62
10	ब्याज भुगतान	3,274	3,271	3,266	99.85	0.31
11	पूँजीगत व्यय	8,311	12,385	8,065	65.12	0.77
12	ऋण एवं अग्रिम	2,603	9,727	3,084	31.71	0.30
13	कुल व्यय (9+11+12)	56,957	75,800	59,395	78.36	5.69
14	राजस्व अधिशेष (4-9)	3,270	7,601	14,457	190.20	1.39
15	राजकोषीय घाटा (-)/आधिक्य(+) {(4+5)-13}	(-)7,021	(-)13,909	4,566	(-)32.83	0.44
16	प्राथमिक घाटा (15+10)	(-)3,747	(-)10,638	7,832	(-)73.62	0.75

(क) उधार और अन्य देयताएं: सार्वजनिक ऋण का निवल (प्राप्तियां - संवितरण) और प्रारंभिक और अंतिम नकद शेष का शुद्ध भारत सरकार के सामान्य नकद के साथ विलय कर दिया गया। वर्ष 2021-2022 के लिए प्रभावी उधार और अन्य देयताएं ₹ 828 करोड़ होंगी क्योंकि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निर्णय लिया था कि ऋण प्राप्तियों के तहत राज्य को बैंक टू बैंक ऋण के रूप में दिए गए ₹ 6,193 करोड़ के जीएसटी विलत आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के तहत राज्य का ऋण नहीं माना जाएगा। 2022-23 के दौरान ऐसा कोई बैंक टू बैंक ऋण प्राप्त नहीं हुआ।

जीएसटी मुआवजा, जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम 2017 के अधीन राज्य सरकार का राजस्व है। 2022-23 के दौरान ₹ 12,817 करोड़ का जीएसटी मुआवजा 'जीएसटी के कार्यान्वयन से होने वाली राजस्व हानि के लिए मुआवजा' के प्रति राजस्व प्राप्तियों के रूप में प्राप्त हुआ था।

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने 2018-19 से 2022-23 के दौरान राजस्व अधिशेष दर्ज किया। अन्य राज्यों के विपरीत रा.रा.क्षे.दि.स. कर्मचारियों की ₹ 1,867 करोड़ की पेंशन देयताएं भारत सरकार द्वारा वहन की गई थी। इसके अतिरिक्त दिल्ली पुलिस के ₹ 11,240 करोड़ का व्यय भी भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा वहन किया गया था। यदि दोनों व्ययों को हिसाब में लिया जाए तो ₹ 14,457 करोड़ का राजस्व अधिशेष घटकर ₹ 1,350 करोड़ का राजस्व अधिशेष हो जाएगा।

1.3.2 सरकार की संपत्ति और देयताओं का आशुचित्र

मौजूदा सरकारी लेखा प्रणाली में, सरकार के स्वामित्व वाली भूमि और भवनों जैसी अचल संपत्तियों का व्यापक लेखा-जोखा नहीं किया जाता है। हालांकि, सरकारी लेखाओं में सरकार की वित्तीय देयताओं और किए गए व्यय से सृजित संपत्ति शामिल होती हैं। संपत्तियों में मुख्य रूप से पूंजीगत व्यय और रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम तथा नकद शेष शामिल हैं। देयताओं में केवल भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। संपत्ति और देयताओं की संक्षिप्त स्थिति तालिका 1.3 में दी गई है:

तालिका 1.3: संपत्तियों और देयताओं की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

देयताएं					संपत्तियां				
	2021-22	2022-23	प्रतिशत वृद्धि		2021-22	2022-23	प्रतिशत वृद्धि		
समेकित निधि									
क	केंद्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	53,844*	52,380	-2.72	क	सकल पूंजीगत व्यय	83,294	91,359	9.68
ख	1994-95 के दौरान ले.म.नि. से लिए गए पूंजीगत परिव्यय का शेष	1,588	1,588	0	ख	ऋण व अग्रिम	72,454	74,280	2.52
ग	1994-95 के दौरान ले.म.नि. से लिए गए ऋण एवं अग्रिम का शेष	3,356	3,356	0	ग	भारत सरकार के सामान्य नगद शेष में अंतिम नगद शेष का विलय	11,349	14,451	27.32
घ	राजस्व लेखा में संचयी अधिशेष	1,08,309	1,22,766	13.35					
	कुल	1,67,097	1,80,090		कुल	1,67,097	180,090		


नोट: 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2023 को क्रमशः ₹ 83,294 करोड़ तथा ₹ 91,359 करोड़ की संपत्ति में 'सकल पूंजीगत परिव्यय' शीर्ष के अंतर्गत ₹ 1,588 करोड़ की राशि शामिल है जिसे 1994-95 के दौरान लेखा महानियंत्रक कार्यालय से लिया गया था। इसी प्रकार, 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2023 को संपत्ति के पक्ष में दर्शाए गए ऋण और अग्रिम क्रमशः ₹ 74,454 करोड़ और ₹ 74,280 करोड़ थे जिसमें 1994-95 के दौरान लेखा महानियंत्रक कार्यालय से लिया गया ₹ 3,356 करोड़ शामिल थे।

* इसमें 2020-21 और 2021-22 के दौरान भारत सरकार से जीएसटी मुआवजे की कमी के एवज में क्रमशः ₹ 5,865 करोड़ और ₹ 6,193 करोड़ का बैंक टू बैंक ऋण शामिल है जिसमें राज्य के लिए कोई पुनर्भुगतान देयता नहीं है।


1.4 अधिशेष/घाटे में प्रवृत्तियां

चार्ट 1.4 एवं 1.5 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान अधिशेष/घाटे के संकेतकों तथा स.रा.घ.उ. से संबंधित अधिशेष/घाटे की प्रवृत्तियों को दर्शाते हैं।

चार्ट 1.4: 2018-19 से 2022-23 की अवधि में अधिशेष/घाटे के संकेतकों की प्रवृत्तियां



चार्ट 1.5: 2018-19 से 2022-23 की अवधि में स.रा.घ.उ. से संबंधित घाटे के संकेतकों की प्रवृत्तियां



चार्ट 1.4 से देखा जा सकता है कि 2018-19 के दौरान ₹ 2,237 करोड़ का राजकोषीय अधिशेष 2019-20 के दौरान ₹ 416 करोड़ के घाटे में बदल गया और 2020-21 के दौरान ₹ 6,708 करोड़ का घाटा हो गया। जो कि 2021-22 के दौरान ₹ 7,021 करोड़ के घाटे तक पहुंच गया। हालांकि 2022-23 के दौरान ₹ 4,566 करोड़ का राजकोषीय अधिशेष था, जिसका मुख्य कारण पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में 27.15 प्रतिशत की वृद्धि थी। इसके अलावा, चार्ट 1.5 के अनुसार, 2021-22 में स.रा.घ.उ. के (-) 0.78 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के प्रति 2022-23 में राजकोषीय अधिशेष स.रा.घ.उ. का 0.44 प्रतिशत रहा।

